फैक्स/अतिआवश्यक/समयबद्ध

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

बी0एन0लहरी मार्ग लखनऊ।

पत्र संख्याः डीजी परिपत्र सं0 11 /2015 दिनांकः फरवरी 11,2015

1 समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0,

2 समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0,

3 समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/समस्त प्रभारी, जनपद उत्तर प्रदेश।

विषयः-उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी कियाकलाप(निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 2015 के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी कियाकलाप(निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2 में, खण्ड (ख) में उप खण्ड (पन्द्रह) के पश्चात (सोलह) से (पच्चीस) उपखण्ड बढ़ा दिये गये है, जिसके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के विधायी अनुभाग-1 की संख्या-6/79 वि0 1-15-2(क)-16-2014 दिनांक 20.01.2015 द्वारा अधिसूचना जारी करते हुए उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी कियाकलाप(निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 2015 जारी किया गया है।

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी कियाकलाप(निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 2015 की प्रति इस निर्देश के साथ संलग्नकर प्रेषित की जा रही है कि अपनी कार्यप्रणाली में उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी कियाकलाप(निवारण) अध्यादेश, 1986 में उक्त संशोधन अधिनियम अध्यादेश, 2015 को सम्मिलित करते हुए सम्बन्धित प्रकरणों में कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

11.2

(ए0के0 जैन)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

क्रम संख्या–19

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, मंगलवार, 20 जनवरी, 2015

पौष 30, 1936 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 6/79-वि0-1–15-2(क)-16-2014

लखनऊ, 20 जनवरी, 2015

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2015) प्रख्यापित किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 2015

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2015)

[भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, में अग्रतर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :–

1–यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 2015 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1986 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2 में, खण्ड (ख) में उप खण्ड (पन्द्रह) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड जोड़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"(सोलह) साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 के अधीन दण्डनीय अपराध;

(सत्रह) गोवध निवारण अधिनियम, 1955 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में उपबन्धों के उल्लंघन में मवेशियों के अवैध परिवहन और/या तस्करी के कार्यों में संलिप्तता;

(अट्ठारह) वाणिज्यिक शोषण, बंधुओं श्रम, बालश्रम, यौन शोषण, अंग हटाने तथा दुर्व्यापार, भिक्षावृत्ति और इसी प्रकार के क्रियाकलापों के प्रयोजनों हेतु मानव दुर्व्यापार करना;

(उन्नीस) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1966 के अधीन दण्डनीय अपराध;

(बीस) जाली भारतीय करेंसी नोट का मुद्रण, परिवहन और परिचालन करना;

(इक्कीस) नकली दवाओं के उत्पादन, विक्रय और वितरण में अन्तर्ग्रस्त होना;

(बाईस) आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 5, 7 और 12 के उल्लंघन में आयुध एवं गोला-बारूद के विनिर्माण, विक्रय और परिवहन में अन्तर्ग्रस्त होना;

(तेईस) भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के उल्लंघन में आर्थिक अभिलाभ के लिये गिराना अथवा वध करना, उत्पादों की तस्करी करना;

(चौबीस) आमोद तथा पणकर अधिनियम, 1979 के अधीन दण्डनीय अपराध;

(पच्चीस) राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और जीवन की गति को भी प्रभावित करने वाले अपराधों में संलिप्त होना।"

राम नाईक,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
एस0 बी0 सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 6(2)/LXXIX-V-1–15-2(Ka)16-2014
Dated Lucknow, January 20, 2015

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Girohband Aur Samaj Virodhi Kriyakalap (Nivaran) (Sanshodhan) Adhyadesh, 2015 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 1 of 2015) promulgated by the Governor:–

THE UTTAR PRADESH GANGSTERS AND ANTI-SOCIAL ACTIVITIES (PREVENTION) (AMENDMENT) ORDINANCE, 2015

(U.P. ORDINANCE NO. 1 OF 2015)

[*Promulgated by the Governor in the Sixty-fifth Year of the Republic of India*]

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist, which render it necessary for him to take immediate action;